100

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 843–तीन/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2004 – पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 131/2001–02 निगरानी

1– रामजनम विश्वकर्मा पुत्र रामशरण विश्वकर्मा
ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी ———आवेदक

विरूद्ध

1/ छोटेलाल सिंह पुत्र 2/ नरहर सिंह पुत्र
दोनों पुत्रगण स्व. सुखदेव सिंह गौड़

3/ दानबहादुर सिंह पुत्र स्व. सुखदेव सिंह गौड़ मृत वारिस
1– सोखीलाल 2– बाबूलाल 3– रामलल्लू पुत्रगण
स्व.दानबहादुर सिंह निवासी ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन
4– श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व.दानबहादुर पत्नि मंगल सिंह
ग्राम अमिलहा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
5– श्रीमती मीनासिंह पुत्री स्व.दानबहादुर सिंह
पत्नि शिवचरण सिंह निवासी ग्राम
कैमोर मोहल्ला अमरई जिला जबलपुर

4/ पंचम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह मृतक वारिस
1– तिजिया सिंह पुत्री स्व. पंचम सिंह पत्नि बाबूलाल
ग्राम चुरियाडीह तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी
2– बाबूलाल सिंह 3– महेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व. पंचम सिंह
निवासी ग्राम चुरियाडीह तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी

5/ सरिमन सिंह पुत्र स्व. सहदेव सिंह गौड़

6/ मान सिंह पुत्र स्व. सहदेव सिंह गौर मृतक वारिस

1– श्रीमती लल्ली सिह पत्नि स्व. मान सिंह
2– हेतराम सिंह 3– रामराज सिंह पुत्रगण स्व. मान सिंह
निवासीगण कुशमहर तहसील रामपुरनेकिन जिला सीधी
4– श्रीमती गुडडूसिंह पुत्री स्व.मान सिंह पत्नि दलवीर सिंह
निवासी ग्राम चकडौर थाना खडडी जिला सीधी
5– श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री स्व. मानसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह
ग्राम कुशुमहर तहसील रामपुर सर्किल हनुमानगढ़ जिला सीधी
7/ राम सिंह 8/ देवशरण सिंह पुत्रगण स्व.सहदेव सिंह
9/ मुस.रामवती पत्नि स्व.रामशरण सिंह
10/ गुडडी 11/ मुन्नी 12/ रानी पुत्रियां स्व.रामशरण सिंह
सभी निवासी ग्राम कुशुमहर थाना चुरहट जिला सीधी
13/ राममिलन 14/ श्यामलाल 15/ रामप्रसाद पुत्रगण
स्व.रामेश्वर सिंह गौड़
16/ श्रीमती बैशखिया पत्नि स्व.रामेश्वर सिंह गौड़
18/ रामसिंह पुत्र स्व.लल्लू सिंह गौड़
सभी निवासी ग्राम कुशुमहर थाना चुरहट जिला सीधी

(आवेदक के अभिभाषक श्री विनोद भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 08 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 131/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–5–2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुशमहर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 503 रकबा 1.60 एकड़ तथा 504 रकबा 2.46 एकड़ पर पुराना कब्जा बताते हुये भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्ति हेतु आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़ को आवेदन दिया। नायव तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन व्दारा प्रकरण क्रमांक 5 अ–46/89–90 में पारित आदेश दि.30–4–90 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 41/1994–96 अपील में

अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-1996 पारित किया तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन अनुसार विलम्ब क्षमा करते हुये प्रकरण अपीलार्थीगण की साक्ष्य के लिये नियत करते हुये नायव तहसीलदार हनुमानगढ़ से जांच प्रतिवेदन भी मांगा। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 7-10-96 के विरूद्ध आवेदक ने एक निगरानी कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत की, वहीं इसी के विरूद्ध दूसरी निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की।

1. कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 12/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-12-2001 से निगरानी निरस्त कर दी, जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी क्रमांक 131/2001-02 प्रस्तुत की।
2. अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-96 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 12/2001-02 पर पॅजीबद्ध हुई।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने निगरानी क्रमांक 131/2001-02 एंव निगरानी क्रमांक 12/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 18-5-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में उक्त पद 2 में वर्णित अनुसार तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-96 के विरूद्ध एक निगरानी कलेक्टर सीधी के समक्ष व दूसरी निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की है। विचार योग्य है कि एक पक्षकार एक न्यायालय के एक आदेश के विरूद्ध दो वरिष्ठ न्यायालयों से अनुतोष की मांग कर सकता है। आवेदक की अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-96 के विरूद्ध दो प्रथक न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त करने हेतु दायर निगरानी इसी आधार पर निरस्ती योग्य है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 41/1994-96 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-1996 के अवलोकन से परिलक्षित है

कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–1996 से अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन अनुसार विलम्ब क्षमा करते हुये प्रकरण अपीलार्थीगण की साक्ष्य के लिये नियत किया है एंव नायव तहसीलदार हनुमानगढ़ से जांच प्रतिवेदन मांगा है। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–1996 का अंतिम पद इस प्रकार है :–

'' उभय पक्ष अधिवक्तागण के तर्क का श्रवण करने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रस्तुत अपील समय सीमा अधिनियम की धारा–5 के उपबंधों के तहत अपील दायर करने की अवधि का विवरण से संतुष्ट होते हुये अपील की प्रचलनशीलता मान्य की जाती है। प्रकरण आदिवासी व्यक्ति की भूमि से संबंधित है जिसमें उत्तरवादी एंव उसके पूर्वजों का नाम अपीलार्थीगण के भूमिस्वामित्व की भूमि पर किन परिस्थितियों में दर्ज अभिलेख हुआ इस संबंध में विधिवत् जांच हेतु उभय पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण अपीलार्थीगण के साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। नायव तहसीलदार हनुमानगढ़ को मूलतः प्रकरण जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा जाता है। ''

अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–1996 के उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखकर कलेक्टर सीधी एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 18–5–2004 में विवेचित किया है कि जब आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी एंव नायव तहसीलदार के समक्ष जांच एंव सुनवाई के दौरान लेखी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने (पक्ष रखने) का उपचार प्राप्त है एंव प्रकरण में जांच अपेक्षित है , निगरानी न्यायालय व्दारा आवेदक के हित में किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने पर विचार करना उचित नहीं है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 131/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–5–2004 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 131/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–5–2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर